उत्तराखण्ड
पर्यटन

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के पर्यटन से जुड़े लोगों को सीएम राहत कोष से मिलेगी राहत

-शासन ने जारी किए आदेश, डीबीटी के माध्यम से खाते में आएंगे रुपये

-पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने की थी 200 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा

6 अगस्त, 2021 देहरादून। कोरोना से प्रभावित हुए उत्तराखंड पर्यटन से जुड़े लोगों के खाते में जल्द ही मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक राहत की रकम आएगी। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन एवं अन्य विभागों में पंजीकृत लाभार्थियों को राहत राशि जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की ओर से डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

कोविड संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहे चारधाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। जिसमें उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग ने 66.66 करोड का शासकीय आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए संबंधित होटल, पर्यटन ईकाई स्वामी की ओर से अपने कार्मिकों का विवरण उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पोर्टल में देना होगा। जिसकी पुष्टी संबंधित जिला पर्यटन अधिकारी के करने के बाद जिलाधिकारी की ओर से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग में पंजीकृत होमस्टे स्वामी भी व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में लाभ हेतु पात्र होंगे। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत एडवेंचर टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की एक ही श्रेणी के लिए पात्र होंगे। जबकि जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर गाइड, रिवर गाइड के रूप में पंजीकृत हैं, वे व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा टूर एडवेंचर, टूर ऑपरेटर हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की एक ही श्रेणी के लिए पात्र होंगे।

पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा, ‘‘कोरोना के कम होते मामलों के बाद से ही पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रदेश सरकार ने बड़े आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की। इस राहत पैकेज से पंजीकृत लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिससे उत्तराखंड पर्यटन को गति मिलने के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी मज़बूत होगी।"

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा, ‘‘कोरोना के कारण लंबे लॉकडाउन व राज्य में स्थगित चारधाम यात्रा से पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी कारोबार बुरी तरह से

प्रभावित हुआ है। जिसके कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से दिए गए इस राहत पैकेज से उन सभी को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द ही राहत राशि पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।’’

इन कारोबारियों को मिलेगी आर्थिक सहायता

1- पर्यटन एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को 6 माह तक प्रतिमाह 2 हजार की आर्थिक सहायता। 50 हजार लाभार्थियों को होगी 60 करोड़ की राशि आवंटित।
2- उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत पंजीकृत टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10 हजार की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। 665 लाभार्थियों में होगी 65.50 लाख धनराशि आंवटित।
3- पर्यटन विभाग में पंजीकृत 630 ट्रेक गाइड्स को 10 हजार की दर से आर्थिक सहायता मिलेगी।
4- टिहरी झील के 93 बोट संचालकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
5- पर्यटन विभाग में व्यवसायियों को लाइसेंस व नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।
6- पंजीकृत राफ्टिंग व एयरो स्पोटर्स के व्यवसायियों को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट मिलेगी।
7- टिहरी झील में कुल 98 बोट संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में वर्ष 2021-22 में छूट।
8-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना ऋण में 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।